कार्यालय वनमंडलाधिकारी धार वनमंडल
माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001
-Phon & Fax 07292&222250] Email – dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 17 / 835 धार, दिनांक 24/03/18

प्रति,

Reliance jio infocomm Limited
Registedred Office 9Th floor, Maker Chamber IV,
222, Nariman point, Mumbai

विषय :– A Request for granting permission for laying optical fiber cable on o
Dharampuri-Mandav road total lengths 4 km (0.2 Hac.)

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक / दिनांक 11.012.17

00—00

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत परिक्षेत्र माण्डव / धामनोद अन्तर्गत मार्ग के किनारे–किनारे आप्टीकल फायबर लाईन डालना प्रस्तावित है। प्रकरण में राईट आफ वे के अन्तर्गत बीना वृक्षों की कटाई एवं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की सीमा के बाहर अनुमति जारी करने के अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता व प्रदत्त है।

प्रकरण के संबंध में स्थल विशिष्ठ जानकारी के सत्यापन हेतु संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी संपर्क स्थापित करे।

उपरोक्त प्रकरण को तैयार करने हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण की कार्यवाही वन परिक्षेत्राधिका के साथ किये जाने हेतु अधिनस्थ अधिकारी को निर्देशित करे। संयुक्त मौका स्थल में निम्न बिन्दुओं व समावेश भी करे।

1 निम्न प्रपत्र 01 एवं 02 में जानकारी देवे।

क्र0	ग्राम का नाम	योजना का नाम	मार्ग का नाम जिसके किनारे लाईन डाली जाना प्रस्तावित है।	मार्ग सीमा के अन्दर (राईट आफ वे के अन्तर्गत) प्रभावित वन भूमि का विवरण (हे.) में				प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या
				कक्ष कं.	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (हे.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र 02

क्र0	ग्राम का नाम	योजना का नाम	मार्ग का नाम जिसके किनारे लाईन डाली जाना प्रस्तावित है।	मार्ग सीमा के बाहर वनक्षेत्र में प्रभावित वन भूमि का विवरण (हे.) में				प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या
				कक्ष कं.	लम्बाई	चौड़ाई	रकवा (हे.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण में प्रस्तावित लाईन को जीपीएस / पीडीए / रिडिंग सहित वन मानचित्र 1:1500 स्केल एवं 1:50000 तथा 1:250000 स्केल पर दर्शित करे। वन मानचित्र सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय भोपा सतपुडा भवन से 03–03 प्रतियों में प्राप्त करे।

3 प्रस्तावित लाईन में छोटे–बड़े झाड का जंगल मद की राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है या नही संबधि तहसीलदार से जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में सम्मिलित करे। यदि राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही तो तद्नुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरण में सम्मिलित करे।

4 जिपिएस / पीडीए से सर्वे कराकर डिजिटल मानचित्र तैयार करे। सर्वे ऑफ इण्डिया की शीट एवं गुगल म पर जियो रिफेन्स सहित मेप तैयार करे, जिसमें जीपीएस के अक्षांश देशांस के प्रत्येक बिन्दू स्थापित करे।

5 वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग धार से प्रा करे।

Vishal Dubey
9752519445

6 वनभूमि के अतिरिक्त अन्य राजस्व भूमि से लाईन नहीं डाली जा सकती के संबंध में मानचित्र के साथ कारण सहित प्रतिवेदन संलग्न करे।

7 प्रकरण में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र एवं इको सेन्सेटिव झोन प्रभावित हो रहा है या नहीं प्रतिवेदन मानचित्र के साथ प्रेषित करे। यदि उपरोक्तानुसार प्रभावित नहीं हो रहे है तो इनसे आवेदित क्षेत्र की दूरी स्पष्ट करे।

8 प्रकरण में यदि वन अधिकार अधिनियम या वनक्षेत्र के पट्टेधारी प्रभावित हो रहे है तो तदानुसार विस्तृत जानकारी प्रकरण में संलग्न करे।

9 ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहर या अन्य महत्वपूर्ण स्मारक प्रभावित नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र।

10 क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाती की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है या नहीं ब्यौरा देवे।

11 प्रस्तावित ऐजेंसी द्वारा वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। जांचे गये विकल्पों के साथ विस्तृत जानकारी देवे।

12 वनभूमि में बिना अनुमति के कोई कार्य किया गया है या नहीं जानकारी देवे।

13 परिक्षेत्र अन्तर्गत विगत वन्यप्राणी गणना में पाए गए वन्यप्राणियों के नाम और संख्या प्रकरण में संलग्न करे।

14 आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन हेतु मूल अभिलेख प्रेषित करे।

15 प्रकरण में पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क स्थल निरीक्षण की कार्यवाही के उपरांत जमा करावे।

उपरोक्तानुसार संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण की कार्यवाही कर ऑनलाईन वेब पोर्टल पर आवेदन पूर्ण करे। तथा 03-03 प्रतियों में आप से संबंधित जानकारियां एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारियां मय मानचित्रों के इस कार्यालय को मूल हस्ताक्षर के प्रेषित करे।

उपरोक्त कार्यवाही हेतु आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूलतः 03-03 प्रतियों में वापस किये जा रहे है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सतेन्द्र कुमार सागर)
वन मंडल अधिकारी
(क्षे.) वन मण्डल धार

पृ.क्रमांक/माचि/2017/936 धार, दिनांक 26/03/18

प्रतिलिपि 1 उप वनमण्डलाधिकारी धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में अपने हस्ताक्षर अंकित कर प्रकरण का सत्यापन कर पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित करे।

2 वन परिक्षेत्राधिकारी माण्डव/धामनोद की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में संयुक्त स्थल निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार पूर्ण जानकारी के प्रकरण इस कार्यालय को उप वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करे एवं आवेदक से भी संबंधित जानकारिया प्राप्त कर पूर्ण एकजाई प्रकरण प्रेषित करे।

वन मंडल अधिकारी
(क्षे.) वन मण्डल धार

9752519449.